

FORM - III

फर्द अहका

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
ताजप्रीत सिंह आदि बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188 आरटीए नम्बर 397 सन् 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/560

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.12.2025	<p>वादीगण ताजप्रीत सिंह पुत्र परमिन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गांव 22 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188 आरटीए प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.01.2026 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</p> <p>आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा नौप्रेस करने पर पेशी में ली गयी। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188 आरटीए नौप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर वाखिल फ़ातर हो।</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

26/12/25

Notarized

By

de
Smt

सती (कुमार) उड

26/12/25



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)